न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 17/2017

सरकार बनाम योगी उदयनाथ निवासी चिड़ावा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 19.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल योगी उदयनाथ निवासी चिड़ावा द्वारा ग्राम चिड़ावा स्थित भूमि ख.नं. 1282/135 रकबा 21.06 हैक्टे किस्म गै.मु.जोहड़ में से 1.00 हैक्टे. भूमि पर ईंगल लगाकर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने उपस्थित होकर लिखित जवाब/बहस प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा ख.नं. 1282/135 में एक हैक्टे. में ईंगल व तारबन्दी कर अतिक्रमण नही किया गया है। गांव के आवारा पशुओं को सुरक्षित रखने के उदेश्य से यह तारबन्दी कर पशुओं को रखा गया है जिससे कि आवारा पशु किसी के खेत में खडी फसल को किसी प्रकार से क्षति नही पहुँचाये अतः यह तारबन्दी अतिक्रमण के उदेश्य से ना कि जाकर आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु की गयी है। अतः प्रकरण ड्राप किया जावे। गैर सायल ने अन्य कोई साक्ष्य–सबूत पेश करने से इन्कार किया, जवाब को ही बहस समझने का कथन किया।

निर्णय हेतु पत्रावली पर मौजूद फर्द मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार चिड़ावा दिनांक 18.07.2017 एवं रिपोर्ट पटवारी दिनांक 01.09.2017 एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौका का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल द्वारा गै.मु.जोहड़ भूमि जो कस्बा चिड़ावा में भगीनिया जोहड़ के नाम से प्रसिद्ध है में गणेशघाट एवं प्राचीन तालाब के चारो ओर गौशाला की आड में अवैध कब्जा करने की नियत से लोहे की ईंगल लगाकर तारबन्दी करने का प्रयास किया गया था जिसे दिनांक 18.07.2017 को नायब

तहसीलदार चिड़ावा द्वारा मौके पर जाकर रूकवाया गया था एवं की गई तारबन्दी को हटाये जाने हेतु पाबन्द किया गया। परन्तु गैर सायल ने इसकी कोई परवाह नही करते हुए की गई तारबन्दी एवं लगाई गई लोहे की ईंगलो को मौके से नही हटाया। गैर सायल के पास आवारा पशुओं के रख – रखाव अर्थात गौशाला के संचालन हेतु ना ही तो कोई संसाधन है एवं ना ही किसी प्रकार की कोई चारा, पानी आदि की व्यवस्था है, ना ही कोई भविष्य की योजना है जिससे साफ स्पष्ट है कि गौशाला के नाम की आड लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट कस्बा चिड़ावा में बेशकीमति जोहड़ भूमि (लगभग 1.00 हैक्टे.) पर कब्जा करने का उद्देश्य गैर सायल का है जो पूर्णतया अनुचित है।

अतः रिपोर्ट पटवारी पूर्णतया सही है। गैर सायल को भूमि ख.नं. 1282/135 रकबा 21.06 हैक्टे. किस्म गै.मु.जोहड़ भूमि में 1.00 हैक्टे. भूमि पर ईंगल लगाकर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाता है एवं गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रश्नगत भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबन्धित भूमियो की श्रेणी में भी शुमार है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को 1.00 हैक्टे. पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 50 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार चिड़ावा